राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (S-841) अलेसे–I/ 332-40 दिनांकः– 11-06-2025

आदेश

श्री श्रीनाथ पुरोहित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (लिंक नं0–9741) कार्यालय परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जैसलमेर के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2022–23 में ब्लॉक फतेहगढ में किये गये निर्माण कार्य की निविदा प्रकिया में प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रथम दृष्टया दोषी माना गया हैं।

अतः राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए श्री पुरोहित को विभागीय जांच कार्यावाही विचाराधीन रखते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। श्री पुरोहित का निलम्बन काल में मुख्यालय कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बीकानेर रहेगा।

श्री पुरोहित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2 (क) (S-841) अलेसे–I/ 332-40 दिनांकः– 11-06-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कार्मिक के विरूद्व सीसीए नियम–16 में अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.2002 के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव इस निदेशालय को भिजवाये जाने का श्रम करावें।
3. परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जैसलमेर।
4. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, बीकानेर/जैसलमेर।
5. श्री श्रीनाथ पुरोहित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जैसलमेर।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्ठी करने हेतु।
7. वरिष्ठ निजी सचिव निदेशक महोदय।
8. जॉंच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)